25.1.21
GM(Z)CCIP

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 25/01/2021

क्र. एफ 16-53/2020/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स बेस्ट लाईफ स्टाईल अपेरल प्रायवेट लिमिटेड (बेस्ट कार्पोरेशन प्रा.लि. की सब्सिडियरी) द्वारा उज्जैन में लगभग रूपये 60 करोड के स्थाई पूंजी निवेश से होजरी गारमेंट्स निर्माण इकाई को परियोजना अन्तर्गत बडी संख्या में विशेषकर महिलाओं को उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-

1. **भूमि आवंटन** - उज्जैन में एमपीआईडीसी के स्वामित्व की भूमि में से कंपनी द्वारा आवेदित 11 एकड़ भूमि के मूल्य में 75 प्रतिशत की छूट दी जाये।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 7 वर्षो हेतु विद्युत टैरिफ में रूपये 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाये। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ में दी गई छूट, अगर कोई हो, के अतिरिक्त होगी। विद्युत वितरण कंपनी के स्तर से कोई छूट देय नहीं होगी। निर्धारित टैरिफ में उक्त छूट की राशि की गणना कर एमपी आईडीसी द्वारा मेसर्स बेस्ट लाईफ स्टाईल अपेरल प्रायवेट लिमिटेड (बेस्ट कार्पोरेशन प्रा.लि. की सब्सिडियरी) को प्रतिपूर्ति किया जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट** - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 7 वर्षो हेतु दी जाये।

4. **ब्याज अनुदान** - ए-टफ अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षो हेतु शर्तों के अध्याधीन होगी।

5. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - तकनीकि एवं कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति सहायता, इकाई में नियोजित मध्यप्रदेश के मूल निवासी, प्रति नवीन कर्मचारी हेतु रूपये 13000/- की प्रतिपूर्ति 7 वर्षो के लिये शर्तों के अध्याधीन देय होगी।

6. **रोजगार सृजन अनुदान** - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन पुरूष कर्मचारियों को रूपये 5000/- एवं नवीन महिला कर्मचारियों को रूपये 6000/- प्रति कर्मचारी की दर से प्रतिमाह दी जायेगी। यह सुविधा कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक से 7 वर्षों तक देय होगी किन्तु किसी भी परिस्थिति में उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष के पश्चात देय नहीं होगी।

    यह सहायता उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से 10 वर्ष तक की अवधि तक सीमित होगी इसका आशय यह है कि आठवें वर्ष में नियुक्त कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से शेष 2 वर्षो हेतु रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्तो के अध्याधीन देय होगी:-

क्र.	समयावधि	परियोजना में उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से कुल नियोजित कर्मचारियों में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1	प्रथम 2 वर्ष	50%
2	तृतीय वर्ष	60%
3	चतुर्थ वर्ष से आगामी वर्ष	70%

7. **स्टाप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति**- पट्टे की भूमि पर प्रभारित स्टाप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाये।

8. **अधोसंरचना विकास सहायता** - परियोजना स्थल तक विद्युत जल एवं सडक विकास पर अधोसंरचना विकास हेतु किये गये वास्तविक व्यय का 50% या रूपये 1 करोड जो भी कम हो, की सहायता दी जाये।

9. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - प्लांट एवं मशीनरी में किए गए पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत की स्थिर दर से निवेश प्रोत्साहन सहायता 5 वार्षिक किस्तों में टर्न ओवर सत्यापन अनुसार निम्नानुसार प्राप्त होगी -

क्लेम वर्ष में स्थापित क्षमता के विरूद्व विक्रय का प्रतिशत	देय वार्षिक सहायता का प्रतिशत
80% या इससे अधिक	100%
70% - 79%	90%
60% - 69%	75%
50% - 59%	60%
50% से कम	निरंक

10. परियोजना अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने की अंतिम तिथि 31.12.2024 होगी तथा उत्पादन प्रारंभ से 1 वर्ष की अवधि में किये गये निवेश को सुविधा की गणना में शामिल किया जाये।

11. **सुविधाओं की अधिकतम सीमा** - इकाई को स्वीकृत समस्त सुविधाएं किसी अधिकतम सीमा के बिना प्राप्त हो सकेगी।

12. परियोजना को स्वीकृत विशेष सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में प्रस्ताव अनुसार प्रतिबद्ध निवेश कर लिया जाये।

13. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-53/2020/ए-ग्यारह **भोपाल, दिनांक 25/01/2021**

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
6. कलेक्टर, जिला उज्जैन।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स बेस्ट लाईफ स्टाईल अपेरल प्रायवेट लिमिटेड (बेस्ट कार्पोरेशन प्रा.लि. की सब्सिडियरी), 89/2 पदमावतीपुरम, अवंशी रोड, त्रिपुर - 641603

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग